



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहामाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : cfbilaspur@rediffmail.com

क्रमांक/तक/ 1466

/बिलासपुर/दिनांक -20-8-18

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध) एवं,
नोडल अधिकारी, व.सं.अ.-1980,
रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय:- Proposal for Diversion of Forest land for Consultancy Services for Preparation of DPR for Rehabilitation and uprading to 4-Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh. Pakage-I (0+00 to 53+300) Under Bilaspur Forest Division Total Forest land to be diverted is 24.585 Ha.

Registration No. - FP/CG/ROAD/28920/2017

संदर्भ:- आपका पत्र क्र. /विविध/1790 दिनांक 11.06.2018

—00—

विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम-1980, के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार, वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर से अनुशंसा उपरांत प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव का इस कार्यालय के परीक्षण उपरांत, प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

1. आवेदनकर्ता मे. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इण्डिया, बिलासपुर द्वारा बिलासपुर जिले के बिलासपुर वनमण्डल में राजस्व वनभूमि 24.585 हे. की मांग बिलासपुर-कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-111 चौड़ीकरण हेतु की गई है।
2. आवेदनकर्ता द्वारा, प्रस्ताव में शासन आदेशानुसार, पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क हेतु 35000/- रुपये जमा कराये गये हैं।
3. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है एवं इसमें मिश्रित प्रजाति के 1162 वृक्ष खड़े हैं।
4. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि का मुख्य वन संरक्षक / वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार:-

(iii) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य (बिलासपुर-कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-111 चौड़ीकरण) हेतु मांग की जा रही वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर वन भूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।

(iv) व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

5. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु, संबंधित पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
6. प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के बदले में राजस्व वनक्षेत्र में दुगने नारंगी वनक्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है।
7. वैकल्पिक वृक्षारोपण गैर वनभूमि की वृक्षारोपण हेतु उपयुक्ता का वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर का प्रमाण पत्र एवं साथ ही इस गैर वन भूमि पर स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रुपये 600244/- प्रति हेक्टेयर की दर से तैयार कर संलग्न है।
8. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मुर्ति न होने संबंधी वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
9. परियोजना का Cost Benefit Analysis संलग्न है।
10. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा संरक्षण अधिनियम, 1980 के नियम 3B का उल्लंघन नहीं किया है।
11. आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (Biosphere Reserve, प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सैटलमेंट, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 कि.मी. के अंतर्गत नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
12. आवेदित वन भूमि किसी उद्यान एवं किसी वन्य प्राणी अभ्यारण्य का भाग नहीं है एवं आवेदित वन भूमि की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है।
13. आवेदक द्वारा शासन निर्देशानुसार 24.585 हे. वन भूमि की इको क्लास के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित दर से प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने हेतु वचन पत्र दिया है।
14. मिश्रित रोपण योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदनकर्ता का वचन पत्र संलग्न है।

अनुशंसित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शिका सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव भारत सरकार से प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- प्रस्ताव 4 प्रतियों में।


मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

पृ.क्र. /तक./ 1467

बिलासपुर, दिनांक 20-8-18

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर (छ.ग.)
2. परीयोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ईकाई अभिलाषा परिसर नया बस स्टैण्ड बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।


मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है।
(हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदक मे. परीयोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ईकाई
बिलासपुर वनमंडल में आवेदित राजस्व वनभूमि 24.585 हे. बिलासपुर-कटघोरा राष्ट्रीय
राजमार्ग क्रमांक 111 चौड़ीकरण स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष
सिफारिशें।

अनुशंसित

(बी.आनंद बाबू)

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर